



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

पंचदीप भवन, नन्दानगर, इंदौर-452011 (म.प्र.)

ISO 9001:2015 Certified/आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित

Phone /Fax:: 0731-2550485

E-mail : rd-mp@esic.nic.in

Website : www.esic.gov.in

क्र.18ए/27/12/एम.ए.सी.पी./09-स्था.

दिनांक: 05-03-2025

कार्यालय आदेश क्र. 38/2025

क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर में दिनांक 12/02/2025 को आयोजित विभागीय जांच समिति (DSC) की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्रीय निदेशक महोदय द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को MACP योजना के तहत उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए पे-लेवल तथा तिथि पर निम्नानुसार वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

क्र.	नाम एवं पद (श्रीश्रीमती/कु0/)	वर्तमान तैनाती स्थान	वर्तमान वेतनमान/ पेलेवल-	एम.ए.सी.पी. के तहत देय वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं संख्या	पेलेवल जिस पर- एम.ए.सी.पी. के तहत देय वित्तीय उन्नयन देय है
1	Mr. Lakhan Lalwani, OT Technician	ESICMH, Indore	लेवल-4	26/07/2024 3 rd MACP	लेवल-5
2	Mr. Rajesh Kumar Koshisha, OT Technician	ESICMH, Indore	लेवल-4	26/07/2024 3 rd MACP	लेवल-5
3	Mr. balwant singh panwar, OT Technician	ESICMH, Indore	लेवल-4	26/07/2024 3 rd MACP	लेवल-5
4	Mr. Shailendra Lambade, OT Technician	ESICMH, Indore	लेवल-4	26/07/2024 3 rd MACP	लेवल-5
5	Mr. Dinesh Raikwar, OT Technician	ESICMH, Indore	लेवल-4	26/07/2024 3 rd MACP	लेवल-5
6	Mr. Shivnarayan Parmar, OT Technician	ESICMH, Indore	लेवल-4	26/07/2024 3 rd MACP	लेवल-5
7	Mr. Takeshwar ram Dhruv, OT Technician	ESICMH, Indore	लेवल-4	30/07/2024 3 rd MACP	लेवल-5
8	Mr. Ramchandra Jatav, OT Technician	ESICMH, Indore	लेवल-4	26/07/2024 3 rd MACP	लेवल-5
9	Mr. Narayan Singh Chouhan, CSSD Technician	ESICMH, Indore	लेवल-4	26/07/2024 3 rd MACP	लेवल-5

1. उपर्युक्त कर्मचारियों के लिए MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यापक है और उनका वरिष्ठता स्थिति से कोई संबंध नहीं होगा। अतः इस आधार पर वरिष्ठ कर्मचारी के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा की निम्नतर ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी को MACP योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन प्राप्त हुआ है। MACP के अंतर्गत अनुमत वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय अर्थात् उच्चतर ग्रेड में कार्यात्मक पद पर नियुक्ति के समय कोई वेतन निर्धारण लाभ अर्जित नहीं होगा।

2. संबंधित कर्मचारी इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह अंदर मूलभूत नियमावली FR- 22(I)(a)(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं।

3. MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/208-स्था. (डी) दिनांक 19-05-2009 के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों और शर्तों और इस मामले में समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरण/निर्देशों के अधीन होगा।

4. नियंत्रक प्राधिकारी समस्त संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में उपर्युक्त प्रविष्टियाँ और वेतन निर्धारण के संबंधी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by

RAHUL BHARDWAJ

Date: 05-03-2025

15-3812

(राहुल भारद्वाज)

उप निदेशक (चि. प्रशा.)

प्रतिलिपि,

1. संबंधित कर्मचारी।
2. चिकित्सा अधीक्षक, आदर्श चिकित्सालय, नन्दा नगर, इंदौर।
3. आई.टी. शाखा को इस आशय के साथ की मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. गार्ड फ़ाइल।